निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1417) पटना, सोमवार, 25 अगस्त 2025

सं० 08/आरोप–01–13/2025 सा0प्र0–14942
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 अगस्त 2025

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–869/2024, (1022/2023), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, बार–बार विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव से निदेश दिये जाने के बावजूद भी उनके क्रियाकलापों में कोई सुधार नहीं होने, दाखिल खारिज अपीलवादों को लंबित रखने तथा ऑफिशियल लॉगिंग का उपयोग नहीं करके अपने निजी लॉगिंग से वाद दायर करने संबंधी आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–754, दिनांक–15.05.2025 द्वारा की गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार को संकल्प ज्ञापांक–10065, दिनांक–02.06.2025 (शुद्धि पत्र ज्ञापांक–10103, दिनांक–03.06.2025) द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–10391, दिनांक–06.06.2025 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है। प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के है, मामले की विस्तृत जाँच कराया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–869/2024, (1022/2023), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सम्प्रति निलंबित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1417-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in